न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 34/17 (RCMS No. 2017/00040) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बाबूलाल पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी भूडा दरवाजा डीग तहसील डीग
2. लीलावती पुत्री स्व0 श्री लालचन्द पत्नि अमरसिंह जाति माली निवासी भूडा दरवाजा डीग हाल निवासी ग्राम पालई ब्राहमण जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

...........अपीलान्ट

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र स्व0 श्री भोजा उर्फ भोजी जाति माली निवासी भूडा दरवाजा कस्वा डीग तहसील डीग
2. तहसीलदार तहसील डीग

.... रैस्पो0

3. मानो पुत्री स्व0 भोजा उर्फ भोजी जाति माली निवासी भूडा दरवाजा कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
4. चन्द्रशेखर | पिसरान स्व0 बंसू पौत्र लालचन्द जाति माली नावालिगान जरिये
5. अंकित | संरक्षक शारदा वेवा बंसू हाल पत्नि सियाराम जाति माली निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. शारदा वेवा बंसू हाल पत्नि सियाराम जाति माली निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 06.02.2017 एवं नामा0 सं0 232 निर्णय दिनांक 03.06.92 वॉके कस्वा डीग द्वितीय तहसीलदार डीग

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः—27.06.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 06.02.2017 एवं तहसीलदार डीग के आदेश नामा0 संख्या 232 दिनांक 03. 06.92 वॉके ग्राम कस्वा डीग द्वितीय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 3184 रकवा 0.25 है0, 3188 रकवा 0.23 है0, 3189 रकवा 0.04 है0, 3190 रकवा 0.30 है0, 3191 रकवा 0.20 है0, 3193 रकवा 0.49 है0 कुल किता 6 रकवा 1.51 हैक्टेयर वांके कस्वा डीग द्वितीय के 1/2 हिस्से का भौजी पुत्र रोदल कौम माली सा0 देह खातेदार

Web Copy Not Official

था। उसकी मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 232 वॉके कस्वा डीग द्वितीय तहसीलदार डीग ने समस्या समाधान कैम्प डीग में दिनांक 03.06.92 को घीसा व प्यारे लाल पुत्रान भौजी व सोना वेवा भौजी कौम माली सा0 देह बहिस्सा बराबर 1/2 तस्दीक किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में इस आश्य की अपील पेश की थी कि मृतक भोजा उर्फ भोजी ने अपनी मुत्युपरान्त वारिसान के रूप में अपनी पत्नि सोना व दो पुत्र घीसा व प्यारेलाल व दो पुत्रियॉ मानो व शान्ती को जीवित अवस्था में छोड़ा था। परन्तु रैस्पो0 सं0 1 प्यारे लाल ने अपनी बहिनों शान्ती अपीलान्ट की मॉ व रैस्पो0 मानो को छोड़कर अपने व अपने भाई घीसा व मां सोना के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करा लिया जबकि भोजा के समस्त वारिसान का भोजा की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। विवादित नामा0 की जानकारी रैस्पो0 प्यारे लाल के धमकी देने पर दिनांक 02.12.14 को हुई। अपीलान्ट की मां शान्ती व मानो अनपढ थी उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नही थी। सोना फौत हो चुकी है। घीसा लाबल्द विला औरत फौत हो चुका है। अपीलान्ट के भाई बंसी भी फौत हो चुका है। बंसू की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नि शारदा ने सियाराम निवासी पहरसर से शादी कर ली है इसलिये भोजा की छोड़ी हुई आराजी में कानूनन उसका कोई हक नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा0 निरस्त किया जावे तथा कानूनन हिस्सानुसार आराजी समस्त वारिसान के नाम दर्ज की जावे। रैस्पो0 ने कथन किया कि रैस्पो0 4 लगायत 6 का भोजा की आराजी से कोई संबंध नही है। भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हुई थी। भोजा ने अपने जीवन काल में ही अपीलान्ट बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में से अपीलान्ट की मां शान्ती की सहमति से पृथक–प्रथक वयनामा कराकर 4 बीघा आराजी उनके हिस्से के तौर पर दे दी थी, जो अपीलान्ट बाबू लाल के नाम दर्ज है। इसीलिये अपीलान्ट की मां ने अपने जीवनकाल में कोई अपील पेश नही की। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग में हुऐ बयानों में यह माना है कि उन्हें शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयनामा दे दी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कोई हक नही रहा है। अतः अपील खारिज की जावे। रैस्पो0 4 लगायत 6 बंशू के वारिसान ने कथन किया कि उनके नाना भोजा ने जो वयनामा बाबूलाल के पक्ष में दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराये थे, वे मां शान्ती के हिस्से की आराजी है जिस पर उनका भी हक है। अपीलान्ट ने यह अपील गलत पेश की है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारों को सुनकर यह माना कि अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में बाबूलाल के पक्ष में माता शांति के हिस्से की आराजी को दे दिया है। शांती ने सन् 2005 के पश्चात भी सन् 2008 तक कोई हिस्से की मांग अपने पिता की आराजी में नही की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2016 (1) आरआरटी 29 के अनुसार भी अपीलान्ट मृतक भोजा की आराजी में कोई अधिकार नही रखते है। अतः अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि मृतक भोजा के वारिसान में उसकी पत्नि सोना, पुत्र घीसा व प्यारे लाल व पुत्रियां शन्ती व मानो थी। जिनमें से पत्नि सोना दिनांक 30.08.2003 को फौत हो चुकी है। भोजा का पुत्र घीसा लावल्द बिला औरत 20.04.2001 को फौत हो चुका है। एक लड़की शान्ती पुत्री भोजा पत्नि लालचन्द दिनांक 30.11.08 को फौत हो चुकी है। शान्ती के बाबू लाल पुत्र, लीला पुत्री व बंसू पुत्र थे जिनमें से बंसू फौत हो चुका है जिसके अंकित व चन्द्रशेखर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पुत्र हैं। अपीलान्ट शान्ती के पुत्र व पुत्री हैं। शान्ती पुत्री भोजा उर्फ भेजी की मृत्यु भोजा के बाद हुई है। भोजा की मृत्यु दिनांक 03.06.92 को हुई थी और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वह प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण मृतक भोजा की आराजी में प्रत्येक 1/5 हिस्से की शान्ती, सोना, घीसा, प्यारे लाल व मानो के साथ हिस्सेदार हुऐ। शान्ती की मृत्यु दिनांक 30.11.08 के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके हिस्से पर बाबू लाल पुत्र व लीलावती पुत्री अपीलान्टान 2/9 हिस्से के व बंसू पुत्र के वारिसान प्रत्येक 1/9 हिस्से के हिस्सेदार हुऐ। बंसू दिनांक 30.12.06 को फौत हो गया जिसके वारिसान चन्द्रशेखर व अंकित हैं। बंसू की पत्नि शारदा ने शादी कर, सियाराम निवासी पहरसर तहसील नदबई के यहां खानन्दाज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर गलत माना है। क्योंकि नामा0 सं0 232 दिनांक 03.06.92 को पारित किया है, वह विधि विरूद्ध था। अपीलान्ट की माता शान्ती को सुने बिना पारित किया गया था। इसलिये अपील को दिनांक 29.12.14 को पेश करने के रोज से ही अन्दर मियाद मानना चाहिये था। अपी0 ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया था इसलिये अपील को अन्दर मियाद मानना चाहिये था। अपने पक्ष के समर्थन में 2002 आरआरटी 269, 2012 आरआरटी 137, 2002 आरआरटी 648 पेश की। उनका तर्क है कि भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट बाबूलाल से प्रतिफल लेकर वयनामा दिनांक 01.05.85 एव 16.05.85 कराया था। क्योंकि प्यारे लाल रैस्पो0 शुरू से ही बोलने में असमर्थ था, यानी गॅूगा था। भोजा की मृत्यु के बाद जो शेष आराजी रही है, उसी में ही भोजा के वारिसान को उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हुऐ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने शान्ती को कोपार्सनरी के हिसाब से दिनांक 09.09.05 के प्रावधान को गलत लागू माना है जबकि अपीलान्ट की माॅ शान्ती भोजा की मृत्यु व सोना व घीसा की मृत्यु के उपरान्त ही विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के अधिकार रखती है। शान्ती विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की घीसा व सोना के मरने के बाद खातेदार हुई। शान्तीदेवी की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को होने पर बाबू लाल लीलावती व बंसू पुत्र विरासत से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। बंसू का दिनांक 30.12.06 को देहान्त होने के कारण उसके हिस्से पर चन्द्रशेखर व अंकित मालिक होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। अतः अपील स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावें। अपीलान्ट को विवादित आराजी में 2/9 हिस्से का खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हो गयी थी। मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में अपीलान्ट की मां शान्ती की सहमति से दो प्रथम प्रथक वयनामा दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराकर लगभग 4 बीघा भूमि उनके हिस्से के तौर पर दे दी थी। वयनामा के आधार नामा0 दर्ज होकर, राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल के नाम दर्ज हो गया इसलिये अपीलान्ट की माॅ शान्ती ने अपने जीवनकाल में उक्त नामा0 के विरूद्ध कोई अपील पेश नही की है। अपीलान्ट की माॅ की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को हो चुकी है। इसलिये अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार ही नही है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नामा0 सं0 232 दिनांक 03.06.92 के विरूद्ध 22 वर्ष बाद अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। अपीलान्ट को प्रत्येक दिन की डिले का कारण बताना चाहिये था। अपीलान्ट ने ऐसा कोई कारण नही बताया है जिससे की उस पर कोई विचार कर मियाद को कण्डोन किया जा सके। रैस्पो0 ने 2017(1) आरआरटी117 राजस्थान उच्च न्यायालय पेश कर कथन किया कि मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती–उदार दृष्टिकोण नही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। विलम्ब स्पष्ट करने का पर्याप्त कारण नही है। इसलिये अपील को मियाद बाहर माना गया है जो सही है। अपीलान्ट को पूर्व से ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानने में कोई त्रृटि नही की है। उनका यह तर्क है कि अपीलान्ट का कोई हक विवादित आराजी में बनता है तो नियमित दावे से तय करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग में हुऐ बयानों में यह माना है कि उन्हें शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयनामा दे दी है। जब अपीलान्ट स्वंय यह स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करने का कोई मतलब ही नही है। अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में लम्बित वाद प्यारे लाल बनाम राजाराम में पक्षकार भी बन चुके हैं। अपीलान्ट को उक्त न्यायालय में प्रकरण कन्टेस्ट करना चाहिये। उनका यह भी तर्क है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 यथा संशोधित अधिनियम 2005 में संशोधन भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी। अपने पक्ष के समर्थन में 2013(1) आरआरटी 29 (सुप्रीम कोर्ट) पेश की। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें हक हकूकों को तय नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी भौजी पुत्र रोदल की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 232 वॉके कस्वा डीग द्वितीय तहसीलदार डीग ने समस्या समाधान कैम्प डीग में दिनांक 03.06.92 को घीसा व प्यारे लाल पुत्रान भौजी व सोना वेवा भौजी कौम माली सा0 देह बहिस्सा बराबर 1/2 तस्दीक किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में 22 वर्ष बाद अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारों को सुनकर यह माना कि अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में बाबूलाल के पक्ष में माता शांति के हिस्से की आराजी को दे दिया है। शांती ने सन् 2005 के पश्चात भी सन् 2008 तक कोई हिस्से की मांग अपने पिता की आराजी में नही की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2016 (1) आरआरटी 29 के अनुसार भी अपीलान्ट मृतक भोजा की आराजी में कोई अधिकार नही रखते है। अतः अपील खारिज कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.90 को हो गयी थी। मृतक भोजा ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट बाबूलाल के पक्ष में अपनी खातेदारी की आराजी में अपीलान्ट की मां शान्ती की सहमति से दो प्रथम प्रथक वयनामा दिनांक 01.05.85 एवं 16.05.85 को कराकर लगभग 4 बीघा भूमि उनके हिस्से के तौर पर दे दी थी। वयनामा के आधार नामा0 दर्ज होकर, राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल के नाम दर्ज हो गया। भोजा की मृत्यु दिनांक 17.05.1990 को होने से उसका विरासत नामा0 घीसा व प्यारे लाल पिसरान भोजी व सोना वेवा भोजी के नाम दर्ज हो गया। चूँकि शान्ती के पुत्र बाबू लाल को उसके हिस्से की आराजी जरिये वयनामा दे दी गई थी। इसीलिये अपीलान्ट की मॉ शान्ती ने अपने जीवनकाल में उक्त नामा0 के विरूद्ध कोई अपील पेश नही की थी। अपीलान्ट की मॉ की मृत्यु दिनांक 30.11.08 को हो चुकी है। इसलिये अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार ही नही है। अपीलान्ट ने विवादित नामा0 सं0 232 दिनांक 03.06.92 के विरूद्ध 22 वर्ष बाद अपील पेश की थी जो मियाद बाहर थी। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी थी। अपीलान्ट ने ऐसा कोई कारण नही बताया है

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

जिससे की उस पर कोई विचार कर मियाद को कण्डोन किया जा सके। हम रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2017(1) आरआरटी 117 राजस्थान उच्च न्यायालय से पूर्णतया सहमत हैं। जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती–उदार दृष्टिकोण नही अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानने में किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। अपीलान्ट का यह तर्क भी उचित नही है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 संशोधित अधिनियम 2005 का प्रभाव भूतलक्षी होगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013(1) आरआरटी 29 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संशोधन भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन उचित नही है। पत्रावली में उपलब्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग के यहॉ प्रकरण सरकार बनाम प्यारे लाल वगैरहा में बाबूलाल के बयानों का अवलोकन किया। बाबूलाल ने अपने बयानों में यह माना है कि ''उन्हें शान्ती के हिस्से की आराजी जरिये बयनामा दे दी है।'' जब अपीलान्ट स्वंय यह स्वीकार कर रहे हैं तो अपील करने का कोई मतलब ही नही है। इसके अलावा इसी प्रकरण में अपीलान्ट बाबू लाल की पत्नि जयदेई ने भी बयान दर्ज कराये हैं जिनकी फोटोप्रति पत्रावली में है, जिसमें जयदेई ने अपने बयानों में दर्ज कराया है कि ''प्यारे लाल मेरे पति बाबूलाल का मामा लगता है। यह कहना सही है कि भोजा ने चार बीघा जमीन मेरे पति को उसके हिस्से के तौर पर दे दी थी।'' इससे स्पष्ट है कि शान्ती के जीवन काल में ही भोजा ने उसके हिस्से की आराजी जरिये वयनामा दे दी थी। जिसको अपीलान्ट ने अपने वयानों में स्वीकार किया है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में उन्हें कोई अधिकार नही मिलते हैं। अपीलान्ट का कोई हक विवादित आराजी में बनता है तो नियमित दावे से तय करा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2017 एवं तहसीलदार डीग के नामा0 सं0 97 वॉके रामबाग आदेश दिनांक 18.07.1992 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official